



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 2723 / अधि० निदेश० (मा० सं०) / उपाकालि

दिनांक 13/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.05.2025 को सम्पन्न हुई 123वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या-123.12 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या 287038/XXX(2)/2025-E26213 दिनांक 28 मार्च, 2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 को निम्न परिवर्तन के साथ एतद्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 के नियम-4 के प्रस्तर-01 में इंगित "सरकार के प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श से" के स्थान पर एवं नियम-4 के प्रस्तर-02 में इंगित "सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियंत्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर" के स्थान पर "मानव संसाधन स्कन्ध के प्रस्ताव पर, प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय गठित समिति, जिसमें निदेशक(वित्त) तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर" शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक 2723 - अधि० निदेश० (मा० सं०) / उपाकालि तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. समस्त पूर्णकालिक निदेशक, उपाकालि, वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(विधि) एवं कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2)/महाप्रबन्धक, उपाकालि,।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उपाकालि,।
6. समस्त उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, उपाकालि, वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि,।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उपाकालि,।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उपाकालि, वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता(सूचना प्रौद्योगिकी), वि०क्र० वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(डॉ० आर० जे० मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा० सं०)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 287038/XXX (2) / 2025-E 26213
देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2025

अधिसूचना संख्या: 287038 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा प्रख्यापित
उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली,
2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 28-03-2025 16:07:15

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 287038/XXX(2)/2025-E 26213
देहरादून: दिनांक 28 मार्च, 2025

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली,

2025

- | | |
|------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "पद/पदों" या "सेवा" से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई पद या सेवा अभिप्रेत है। |
| अध्यारोही
प्रभाव | 3. यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गई किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी। |
| अर्हकारी सेवा | 4. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और |

में
शिथिलीकरण

ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद अथवा पदों पर यथा निर्धारित परीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं:

परन्तु, यह कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथास्थिति निम्नतर पद अथवा पदों पर पदोन्नति के लिये यथा निर्धारित परीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियंत्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

शिथिलीकरण
की अनुमन्यता

5. (1) किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगी।
- (2) पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को प्राप्त हो चुका हो, उन्हें पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) यदि किसी पद की सेवा नियमावली में परन्तुक आदि में दिये गये प्रावधानों में अर्हकारी सेवा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने की व्यवस्था विद्यमान हो, तो भी इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी भी सेवा नियमावली में विद्यमान प्रावधानों के अधीन छूट/शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।
- (4) इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व यदि किसी कार्मिक द्वारा विभागीय सेवा नियमावली में

परन्तु आदि में दिये गये प्रावधानों में अर्हकारी सेवा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने की विद्यमान व्यवस्था के तहत छूट/शिथिलीकरण का लाभ लिया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिक को इस नियमावली के अधीन शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- (5) शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ऐसे शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा, जब वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गई हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट, पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी विसंगति उत्पन्न न हो।
- (6) शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी, जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।

निरसन

6. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) इस नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक से निरसित समझी जायेगी।

Signed by

Anand Bardhan

Date: 28-03-2025 16:03:15

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 287038 dated 28 March, 2025 for general information.

**Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
NO. 287038/XXX(2)/2025-E 26213
Dehradun, Dated 28 March, 2025**

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for relaxation in qualifying service for promotion to Uttarakhand Government Servants: -

The Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2025.

**Short title
commencement
and application**

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Definitions

2. Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules:-

(a) "Constitution" means the Constitution of India;

(b) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(c) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(d) "Post/Posts or Service" means a post or service under the rule making powers of the Governor conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution.

Overriding

3. These rules shall have effect

effect

notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders for the time being in force.

**Relaxation in
Qualifying
service**

4.

In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such remaining prescribed minimum length of service may be relaxed up to fifty percent in a reasonable manner by the Administrative Department of the Government with the consultation of the Personnel and Vigilance Department, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be:

Provided that the minimum period prescribed for promotion to the lower post or posts, as the case may be for promotion to the post holders of Group 'C' service cadre may be, relaxed up to 50 per cent of the remaining prescribed minimum period, excluding the probation period as prescribed for promotion, on the recommendation of the concerned Head of Department and a committee constituted under his chairmanship, in which the Finance Controller and another officer nominated by the Head of Department shall be members.

**Admissibility of
relaxation**

5. (1) The relaxation in qualifying service for promotion to any employee shall be allowed once in entire service tenure.
- (2) Employees, who have availed the

benefit of relaxation in the prescribed qualifying service for promotion earlier, shall not be allowed said benefit again.

- (3) If there is a provision for extending the eligibility field by providing exemption/ relaxation in qualifying service in the provisions given in proviso etc. in the service rules of any post, then too the benefit of exemption/relaxation shall not be admissible under the provisions existing in any other service rules except these rules.
- (4) If, before the promulgation of these rules, any employee has already availed the benefit of exemption/relaxation under the existing system of expanding the field of eligibility by providing exemption/ relaxation in qualifying service in the provisions given in proviso etc. in the Departmental Service Rules, then such employee shall not be allowed for the benefit of relaxation under these rules.
- (5) Before granting permission for relaxation it shall be ensured that the benefit of such relaxation shall be allowed only when all senior eligible employee have been promoted so that there is no discrepancy related to cadre management, mutual seniority and pay.
- (6) No such promotion shall be allowed to any employee, through relaxation, due to which he/she may hold a higher post than his/her senior eligible employee.

Repeal

6. Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2010 (as amended from time to time) shall be deemed to be repealed from the date of

promulgation of these Rules.

By Order,

Anand Bardhan
Additional Chief Secretary.